नियमावली

1–संस्था का नाम– श्री भरत सिंह शिक्षा समिति।

2–संस्था का पता– ग्राम सायपुर पो० खास जिला अलीगढ़।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– समस्त उत्तर प्रदेश होगा।

4–संस्था के उद्देश्य – स्मृति–पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेंगे।

5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग– जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देनेपर ही इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे। जो निम्न वर्ग के होंगे –

संरक्षक सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे।

आजीवन सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/–रू0सदस्यताशुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को 200/–रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

विशिष्ट सदस्य– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।

6–सदस्यता की समाप्ति–1–सदस्य की मृत्यु होने पागल या दिवालिया घोषित होने पर।

2–आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।

3–किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।

4–सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।

5–संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर।

6–किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।

7–सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिए जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

7–संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा। (ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

8–साधारण सभा– (अ) गठन– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

(ब) बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना–अवधि–साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी।

(द) गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कार्य–

1–संस्था की प्रबन्धकारिणी [redacted] पर चुनाव सम्पन्न कराना।

सत्य प्रतिलिपि

2/...

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार कर विचार विमर्श कर [illegible] स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ)गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से 11 सदस्यों का चुनाव किया जायेगा। प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उपप्रबन्धक,एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारण सभा की 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 21 होगी।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या सम्भव माध्यम से सदस्यों को दी जायेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति में अन्तराल यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

2–नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से पास कर साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त धन को संस्था के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति एवं [illegible] कार्यों पर व्यय करना ।

5–संस्था के विकास हेतु उत्तर–प्रदेश मण्डल व जिला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी शाखाओं के लिये उपसमितियां गठन व उनकी सेवा शर्तों के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व ठीक से कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके ऊपर पर पूर्ण नियंत्रण रखना केन्द्रीय स्तर पर इन इकाईयों/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन कराना/करना ।

(ल)कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष – 1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2–मीटिंग बुलाना व निर्णित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

3–संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को कराना व संस्था की आय देखभाल करना ।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य एवं सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner